न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम, जयपुर

RCMS No:- 2016/00179

परिवाद संख्याः 07 / 2016

सरकार जरिये विरेन्द्र सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर (प्रथम)।

...प्रार्थी

बनाम

श्री गोपाल लाल शर्मा पुत्र श्री नारायण शर्मा
मलिक एवं विक्रेता मैसर्स बालाजी मिष्ठान भण्डार,
निवासीः– ग्राम विजयपुरा, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, जयपुर।

... अप्रार्थी–अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः 04 / 02 / 2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05.03.2015 को मैसर्स बालाजी मिष्ठान भण्डार ग्राम विजयपुरा, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, जयपुर पर पहुंचे व अपना परिचय दिया। उक्त संस्थान पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से गोपाल लाल शर्मा (अप्रार्थी) उपस्थित मिले। गोपाल लाल शर्मा ने स्वयं को उक्त संस्थान का खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक होना जाहिर किया। मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की जो आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर संस्थान में मिल्क केक (मावा मिठाई) रखा हुआ था, मिलावट का शक होने पर उक्त काउन्टर में रखे मिल्क केक (मावा मिठाई) में से 2 किलोग्राम मिल्क केक (मावा मिठाई) वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 480/– रूपये विक्रेता श्री गोपाल लाल शर्मा को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य करोबारकर्ता एवं उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रतिया तैयार कर विक्रेता श्री गोपाल लाल शर्मा को फार्म संख्या 5 की एक प्रति देकर रसीद प्राप्त की, फार्म संख्या 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के संलग्न है। खरीदशुदा मिल्क केक (मावा मिठाई) को एक रूप कर चार खाली साफ एवं सूखी कांच की बोतल में बराबर–बराबर डालकर बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम. के कोड व सीरियल नम्बर ई–1772 खाद्य पदार्थ मिल्क केक (मावा मिठाई) का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार कागज में लपेटकर उस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम ने हस्ताक्षर युक्त पेपर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

नमूना कोड एवं कमांक ई–1772 नीचे से उपर तक नियमानुसार गोलाई में गोंद से चिपकाई प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी लगाई एवं चारो पर नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की छः प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक राज. जयपुर का पता अंकित किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी जयपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम को जमा कराकर रसीदे प्राप्त कि है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी जयपुर के पत्र कमांक 314 दिनांक 07.04.2015 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस / 504 /एक्ट/2015/255 दिनांक 26.03.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया मिल्क केक (मावा मिठाई) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि खाद्य पदार्थ मिल्क केक (मावा मिठाई) विकय/उत्पादन करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंधन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी एवं अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव सिंह उपस्थित आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

पत्रावली पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ अप्रार्थी सबस्टैण्डर्ड/मिसब्राण्ड का विक्रय/निर्माण करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य सरंक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी एवं अप्रार्थी ने दौराने बहस नोटिस के संलग्न प्रेषित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को गलत बताया तथा निवेदन किया कि जांच रिपोर्ट को देखने से ऐसी कोई मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। अप्रार्थीगण ने अपने स्तर पर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की है। धारा 52 में प्रथम बार मिसब्राण्ड आने पर सुधार हेतु चेतावनी देकर शास्ति से माफी का प्रावधान है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी–अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी–अभियुक्त पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 5,000/–(अक्षरे पांच हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थी–अभियुक्त जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सैन)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट–प्रथम जयपुर